

प्रेस नोट जनपद फतेहपुर

दिनांक 27.07.2025

## थाना गाजीपुर, कल्यानपुर व हथगांव पुलिस द्वारा लूट, चोरी व नकबजनी एवं गौकशी/गौतशकरी से संबंधित 10 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर श्री अनूप कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गाजीपुर, थाना कल्यानपुर व थाना हथगांव पुलिस द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त 10 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 2/3 उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इस कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगेगा।

### थाना- गाजीपुर

लूट की घटना कर अनुचित तरीके से धन उपार्जित करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध दिनांक 26.07.2025 को थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0- 171/25 धारा 2/3 उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0स0	अभियुक्त का नाम	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या
1.	मोहम्मद आदम पुत्र अब्दुल फारुक निवासी नई बस्ती आबूनगर थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर उम्र 21 वर्ष थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर	लूट से सम्बंधित गैंग D-93/25	03
2.	करन सोनी पुत्र संतोष कुमार सोनी निवासी कटरा अब्दुलगनी थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर	लूट से सम्बंधित गैंग D-93/25	02

## थाना- कल्यानपुर

चोरी व नकबजनी की घटना कर अनुचित तरीके से धन उपार्जित करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध दिनांक 26.07.2025 को थाना कल्यानपुर पर मु0अ0सं0-161/25 धारा 2/3 उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0सं0	अभियुक्त का नाम	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या
1.	गोलू उर्फ राजकुमार पुत्र रामसजीवन रैदास उम्र करीब 29 वर्ष निवासी नारायण स्टेट थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर ( गैंग लीडर)	चोरी व नकबजनी से संबंधित गैंग IR-25/25	12
2.	कमल किशोर पुत्र चिंताप्रसाद रैदास उम्र करीब 25 वर्ष निवासी पुरईहार थाना सांढ जनपद कानपुर नगर	चोरी व नकबजनी से संबंधित गैंग IR-25/25	12
3	अर्जुन रैदास पुत्र कन्हई उर्फ कन्हैया उम्र करीब 24 वर्ष निवासी कच्ची बस्ती नारायण स्टेट थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर	चोरी व नकबजनी से संबंधित गैंग IR-25/25	12
4	विवेक उर्फ रजत पुत्र स्व0 रवी गुप्ता उम्र करीब 29 वर्ष निवासी 3/4 लाल बंगला गल्ला मंडी थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर	चोरी व नकबजनी से संबंधित गैंग IR-25/25	11
5	रामसजीवन रैदास पुत्र कन्हई उर्फ कन्हैया लाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी कच्ची बस्ती नारायण स्टेट थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर	चोरी व नकबजनी से संबंधित गैंग IR-25/25	15

## थाना हथगांव

गोकशी व गोवंश की तश्करी कर अवैध तरीके से धन उपार्जित करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध दिनांक 26.07.2025 को थाना हथगांव पर मु0अ0सं0- 148/25 धारा 2/3 उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैग्रेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0सं0	अभियुक्त का नाम	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या
1.	रिजवान पुत्र जमील निवासी पट्टी शाह थाना हथगांव जनपद फतेहपुर (गैंग लीडर)	गोकशी व गोवंश की तश्करी से संबंधित गैंग-D-90	44
2	रियाज पुत्र जमील निवासी पट्टी शाह थाना हथगांव जनपद फतेहपुर (गैंग लीडर)हथगांव जनपद फतेहपुर (गैंग लीडर)	गोकशी व गोवंश की तश्करी से संबंधित गैंग-D-90	32
3	जावेद उर्फ बबलू पुत्र स्व0- मुमताज अली निवासी मंगरेमऊ थाना हथगांव जनपद फतेहपुर	गोकशी व गोवंश की तश्करी से संबंधित गैंग-D-90	02

सोशल मीडिया सेल  
जनपद फतेहपुर।